**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2269**

**06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए**

**सिविल और सैन्य रैंकों में एक समानता**

**2269. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

 **श्रीमती अम्बिका सोनी :**

 क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवें वेतन आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सिविल-सैन्य एक समानता पर विचार करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ड्यूटी और कार्य का उत्तरदायित्व सौंपने के मामले में सैन्य रैंकों की मौजूदा समकक्षता में कोई कमी अथवा बदलाव किया गया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मुद्दे को सैन्य सेवाओं के लिए संतोषजनक रूप में कब तक सुलझा लिया जाएगा ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क): सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ निकाय, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श करके तथा इसमें शामिल विभिन्न पहलुओं की समग्र जांच करके रक्षा सेनाओं के कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धि संरचना के संबंध में अपनी सिफारिशें दी थीं । आयोग ने : (i) सिविलियन कर्मचारियों के लिए वेतन मेट्रिक्स अभिकल्पन में अपनाए गए सिद्धांतों तथा दृष्टिकोण; और (ii) रक्षा सेनाओं में विशिष्ट रैंक संरचना के कुछ पहलुओं पर विचार करने के बाद रक्षा सेनाओं के लिए पृथक वेतन मेट्रिक्स की अनुशंसा की थी । सरकार ने न्यूनतम वेतन, फिटमेंट गुणक, युक्तिकरण के इंडेक्स, वेतन मेट्रिक्स और वेतन संबंधी सामान्य सिफारिशों को रक्षा वेतन मेट्रिक्स में कुछ अपवादों अर्थात, (i) स्तर 13ए (ब्रिगेडियर) के युक्तिकरण के इंडेक्स में 2.57 से 2.67 का संशोधन; (ii) स्तर 12ए (लै. कर्नल) में तीन प्रक्रमों, स्तर 13 (कर्नल) में तीन प्रक्रमों, तथा स्तर 13ए (ब्रिगेडियर) में दो प्रक्रमों की वृद्धि, को छोड़कर आयोग की अन्य सिफारिशों को मंजूर कर लिया ।

(ख) और (ग): सरकार ने सेना मुख्यालयों में तैनात सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा (एएफएचक्यूसीएस) अधिकारियों के संबंध में सौंपे जाने वाले कर्तव्यों और दायित्वों संबंधी मामलों के लिए सेना मुख्यालयों में अपनायी जा रही मौजूदा कार्यात्मक समानता को केवल दोहराया है ।

\*\*\*\*\*